द्वारा फैक्स/ई–मेल

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स
(परिवहन एवं आयुध)

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग–लखनऊ–226001–फैक्स नम्बर–0522–2288824

पत्र संख्याःलाजि0–माउण्टेन पुलिस–7/2018 दिनांकःनवम्बर 27 ,2018

आदेश

उत्तर प्रदेश घुडसवार पुलिस सेवा नियमावली–2016 में निहित निर्देशानुसार अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्न आरक्षी घुडसवार पुलिस को मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के पद पर उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्याःडीजी–चार–110(126)/2016 दिनांक 22.11.2018 द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैः–

क्र0 स0	पी0एन0ओ0	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	जनपद/ ईकाई	परिक्षेत्र/ अनुभाग	चयन वर्ष
01	822250241	विध्यांचल सिंह	साहब शरण सिंह	लखनऊ	लखनऊ	2017
02	822762256	राजेन्द्र प्रसाद	सिद्ध कुमार	फैजाबाद	फैजाबाद	2017
03	822762676	त्रिभुवन सिंह	जगदीश	कानपुर नगर	कानपुर नगर	2017
04	822032311	नन्दलाल यादव	नरेश यादव	कानपुर नगर	कानपुर नगर	2017
05	822413747	महेन्द्र प्रसाद दुबे	माता प्रसाद दुबे	वाराणसी	वाराणसी	2017
06	832011377	आराम सिंह	राम भरोसे लाल	आगरा	आगरा	2017
07	832760338	राधेश्याम सिंह	श्यामरथी सिंह	इलाहाबाद	इलाहाबाद	2017

2– पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी घुडवार अपने नियुक्ति स्थान जनपद के मुख्यालय पर ही कार्यभार ग्रहण करेगें एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे सेवा नियवाली–2016 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा आगे बढाया जा सकेगा। पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी घुडसवार की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेगे।

3– पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित मुख्य आरक्षी घुडसवार से संलग्न प्रारूप–क में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या–13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी 03 परिस्थियॉ यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है (ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि अपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् मा0 न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, मुख्य आरक्षी घुडसवार उपरोक्त के विरूद्ध विद्यमान नही हो।

4– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उपयुक्त प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नही है तो उपरोक्त आरक्षी घुडसवार को मुख्य आरक्षी घुडसवार के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषण पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है, तो ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5– यदि सम्बन्धित आरक्षी घुडसवार पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/ईकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/ईकाई में उनके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को उपलब्ध कराये जाये।

6– आदेश की प्रति एवं घोषणा पत्र की प्रति प्रारूप (क) उ0प्र0 पुलिस की बेबसाइट upppolice-police unit-Logistics पर भी अपलोड कर दी गयी है।

22/11/18

(विजय कुमार मौर्य)
अपर पुलिस महानिदेशक,लॉजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक–लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद।
4. पुलिस महानिरीक्षक–लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक–लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।